

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 48/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 28/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 25 मई, 2018, जिसे सा.का.नि. 498 (अ) दिनांक 25 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित आगे भी और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

सारणी

क्र.सं.	उप शीर्ष	प्रदार्थ का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2905 17, 2905 19, 3823 70	सभी प्रकार के संतृप्त वसा अल्कोहल्स, (कैप्राइल अल्कोहल्स (सी8) और डेसाइल अल्कोहल्स (सी10) और सी8 और सी10 के मिश्रण को छोड़कर).	इंडोनेशिया	सिंगापुर	पीटी इकोग्रीन ओलियो केमिकल्स	इकोग्रीन ओलियो केमिकल्स (सिंगापुर) प्रा.लि.	शून्य	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
2	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	पीटी मुशिम मास	इंटरकाटिनेन्टल ऑयल्स एंड फैट्स प्रा.लि.	7.10	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
3	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	पीटी विल्मार नबाती, इंडोनेशिया	विल्मार ट्रेडिंग प्रा.लि.	52.23	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
4	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	क्रम संख्या 1, 2 और 3 से भिन्न अन्य कोई संयोजन	क्रम संख्या 1, 2 और 3 से भिन्न अन्य कोई संयोजन	92.23	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
5	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	इंडोनेशिया	कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	92.23	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
6	2905 17, 2905 19,	-तदैव-	कोई भी देश, उनसे	इंडोनेशिया	कोई भी	कोई भी	92.23	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.

	3823 70		भिन्न जो कि प्रितपाटन शुल्क के अधीन हैं						
7	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	मलेशिया	मलेशिया	एफपीजी ओलिया केमिकल्स एसडीएच बीएचडी	प्रोक्टर एंड गेम्बल इंटरनेशनल ऑपरेशन, एस.ए.	17.64	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
8	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	मलेशिया	मलेशिया	केएल- कैपोंग ओलियामास एसडीएच बीएचडी	केएल- कैपोंग ओलियामास एसडीएच बीएचडी	शून्य	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
9	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	मलेशिया	मलेशिया	क्रम संख्या 7 और 8 से भिन्न अन्य कोई संयोजन कोई भी	क्रम संख्या 7 और 8 से भिन्न अन्य कोई संयोजन कोई भी	37.64	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
10	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	मलेशिया	कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	37.64	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
11	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	कोई भी देश, उनसे भिन्न जो कि प्रितपाटन शुल्क के अधीन हैं	मलेशिया	कोई भी	कोई भी	37.64	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
12	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड	थाई फैटी अल्कोहल कं.लि.	थाई फैटी अल्कोहल कं.लि.	शून्य	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
13	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड	क्रम संख्या 12 से भिन्न अन्य कोई संयोजन कोई भी	क्रम संख्या 12 से भिन्न अन्य कोई संयोजन कोई भी	22.50	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
14	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	मूलतः उत्पादन वाले देश से भिन्न कोई भी देश	थाईलैंड	कोई भी	कोई भी	22.50	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
15	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	थाईलैंड	कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	22.50	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.

(फाइल संख्या 354/169/2018-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट- प्रधान अधिसूचना संख्या 28/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 25 मई, 2018 को सा.का.नि. 498(अ), दिनांक 25 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया है।